न्यायालय – अपर जिला न्यायाधीश, सिरोही (राज.)

दीवानी मूल वाद संख्या - 24/2019 (48/2024)
जयादेवी व अन्य विरूद्ध विमला देवी व अन्य

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना की संक्षिप्त टिप्पणी
11.09.2025	वादीगण के अधिवक्ता श्री सुरेश वैष्णव उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 व् 02 के अधिवक्ता श्री अश्विन मरड़िया उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03 से 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है। बहस प्रार्थनापत्र आदेश VII नियम 14 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता गत तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। हस्तगत आदेशिका के माध्यम से उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में दौराने बहस वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रस्तावित दस्तावेज हस्तगत वाद की विषयवस्तु से सुसंगत होने के कारण उन्हें अभिलेख पर लिया जाना अपेक्षित व न्यायसंगत है। पूर्व में उक्त दस्तावेज कहीं रखे हुए होने के कारण एवं वादीया जयादेवी एक विधवा महिला होने के कारण कानूनी ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण समय पर पेश नहीं कर पाई। अतएव प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित प्रलेखों को अभिलेख पर लिया जावे। इसके विपरित प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रस्तावित दस्तावेजात किसी भी प्रकार से हस्तगत प्रकरण से सुसंगत नहीं हैं एवं इसी कारण से वादीगण ने वाद प्रस्तुति के समय अथवा विवाद्यक विरचना से पूर्व उन्हें पेश नहीं किया है। वादीगण ने विक्रय विलेख व पट्टा विलेख की फोटोप्रति प्रस्तुत की है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रस्तावित दस्तावेजात पूर्व से ही वादीगण की जानकारी व ज्ञान में थे, तदुपरांत भी समय पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं एवं इस देरी का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए - 1. 2017(2) WLC (Raj.) UC 703 {Kashmir Singh Vs. Add. District Judge, Sri Karanpur} 2. 2012(2) DNJ (Raj.) 1150 {Nourat Mal & Ors. Vs. Municiap Board & Anr.} 3. AIR 2023 HP 137 {Dev Raj Sharma Vs. Banita Mahendru} 4. AIR 2020 (NOC) 812 (MP) {Ankit Gupta Vs. Badrilal & Ors.} उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया एवं तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली व सुसंगत विधिक प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया। वादीगण की ओर से निम्नांकित दस्तावेजों को अभिलेख पर लिए जाने का निवेदन किया गया है - 1. एफआईआर संख्या 05/2019 पुलिस थाना सुमेरपुर की प्रति 2. भंवरजी नागर का सुसाइड नोट प्रमाणित प्रति 3. विमला देवी व दिनेश के मध्य बेचान इकरारनामा की प्रति 4. पॉवर आफ एटोर्नी की फोटो प्रति 11.9.25	

न्यायालय – अपर जिला न्यायाधीश, सिरोही (राज.)

दीवानी मूल वाद संख्या - 24/2019 (48/2024)

जयादेवी व अन्य विरूद्ध विमला देवी व अन्य

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना की संक्षिप्त टिप्पणी

5. फुटरमल द्वारा श्रीमती विमलादेवी के हक में निष्पादित विक्रय विलेख की फोटोप्रति
6. तेजसिंह द्वारा फुटरमल के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख की फोटोप्रति
7. फुटरमल के हक में जारी पट्टा विलेख की फोटोप्रति
8. नक्शे की फोटोप्रति

प्रकरण में मूल विवाद्यक दिनांक 05.02.2024 को एवं अतिरिक्त विवाद्यक दिनांक 05.07.2025 को विरचित किए गए हैं। जहां तक क्रम संख्या 01 व 02 पर अंकित प्रलेखों का प्रश्न है तो उक्त प्रलेखों की प्रतियां पूर्व से ही पत्रावली पर उपलब्ध हैं। ऐसी दशा में उक्त प्रलेखों को अभिलेख पर लिए जाने में कोई विधिक वर्जना विद्यमान नहीं है।

जहां तक शेष प्रस्तावित प्रलेखों का प्रश्न है तो क्रम संख्या 03 से 08 पर अंकित प्रलेख वाद प्रस्तुति से पूर्व से ही अस्तित्व में रहे हैं। वाद प्रस्तुति से पूर्व उक्त प्रलेख प्रस्तुत क्यों नहीं किए गए, इसका कोई समुचित संतोषप्रद कारण वादीगण की ओर से दर्शित नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र में इस सम्बन्ध में मात्र यह अंकन रहा है कि उक्त दस्तावेजात कहीं रखे हुए होने के कारण पूर्व में पेश नहीं किए जा सके। न्यायालय के मत में उक्त कारण मात्र औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है जिससे यह न्यायालय सहमति प्रकट नहीं करता है। अपने वाद को वादीगण को स्वयं साबित करना है एवं यदि कोई दस्तावेज जो कि पूर्व से वादीगण के कब्जे में हैं, वादीगण के वाद का आधार बनते हैं तो वादीगण से यह अपेक्षित रहता है कि वे वाद प्रस्तुति के समय ही सजगतापूर्वक उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करें अथवा पश्चात्वर्ती स्तर पर प्रस्तुत किए जाने पर विलंब का समुचित संतोषप्रद कारण दर्शित करें। हस्तगत प्रकरण में वादीगण उक्त अपेक्षा की पूर्ति किए जाने में असफल् रहे हैं।

परिणामस्वरूप वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश VII नियम 14 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर क्रम संख्या 01 व 02 पर अंकित प्रलेखों को मूल/प्रमाणित प्रतिलिपी की शर्त के अधीन अभिलेख पर लिया जाता है। शेष प्रस्तावित प्रलेखों के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाता है।

प्रार्थनापत्र उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। प्रकरण इस न्यायालय का लक्षित प्रकरण संख्या 13 है। आइंदा वादीगण साक्ष्य में गवाहों को अनिवार्य रूप् से उपस्थित रखें एवं किसी भी सुरत में अवसर प्रदत्त नहीं किया जाएगा।

पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 17.09.2025 को पेश हो।

11/9/2025

अपर जिला न्यायाधीश, सिरोही